2629

TP1-POLR/ARFR/3/2022-IX-1-Transport Department-Part(1)

1/140245/2023

उत्तराखण्ड शासन
परिवहन अनुभाग–1
संख्या–140245/IX-1/195/2004 टी0सी0
देहरादून: दिनांक 24 जुलाई, 2023

अधिसूचना

सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–163(अ), दिनांक 25.02.2022 एवं अधिसूचना संख्या–162(अ), दिनांक 25.02.2022 के अन्तर्गत दिनांक 01.04.2022 से प्रवृत्त "टक्कर मारकर भागना मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2022" के प्रस्तर–11 में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में प्रत्येक जिले हेतु निम्नानुसार जिला स्तरीय समिति के गठन की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

क्र.सं.	पदाधिकारी	प्रस्तावित पदनाम	प्रास्थिति
1	दावा निपटान आयुक्त	सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी	अध्यक्ष
2	राज्य सरकार द्वारा नाम निर्दिष्ट दावा जांच अधिकारी	सम्बन्धित राजस्व जनपद के उप जिला मजिस्ट्रेट, जहां उप जिला मजिस्ट्रेट नियुक्त नहीं है वहां सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार	सदस्य
3	जिले का पुलिस अधीक्षक या उप पुलिस अधीक्षक (मुख्यालय)	सम्बन्धित जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	सदस्य
4	जिले का मुख्य चिकित्साधिकारी	सम्बन्धित जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी	सदस्य
5	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी या राज्य सरकार द्वारा यथा नाम निर्दिष्ट मोटरयान विभाग का कोई अन्य अधिकारी	सम्बन्धित जनपद मुख्यालय पर तैनात सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन), जहां सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन) नियुक्त नहीं है वहां सहायक सम्भगीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)	सदस्य
6	अध्यक्ष द्वारा यथानाम निर्दिष्ट सड़क सुरक्षा पहलुओं से संसक्त लोक या स्वैछाया संगठन का कोई सदस्य	जिलाधिकारी द्वारा नामित सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में संलग्न किसी स्वैच्छिक सेवा संस्था का एक प्रतिनिधि	सदस्य
7	साधारण बीमा परिषद द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई अधिकारी	साधारण बीमा परिषद द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी	सदस्य सचिव

सड़क सुरक्षा
25/07/23

2. उपरोक्त नाम निर्दिष्ट अधिकारी पद पर तैनाती की अवधि तक समिति में सदस्य का पद भी धारण करेंगे। क्रमांक–6 पर नाम निर्दिष्ट सदस्य का कार्यकाल 02 वर्ष अथवा उत्तराधिकारी नामित किये जाने की तिथि, जो पहले हो, तक होगा।

3014
28/7/23

3. सम्बन्धित सदस्यों को उनके सम्बन्धित विभाग में अनुमन्य दरों पर यात्रा भत्ता एवं दैनिक भत्ता उनके सम्बन्धित विभागों के आहरण वितरण अधिकारी द्वारा भुगतान किया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई पारिश्रमिक देय नहीं होगा। क्रमांक–6 पर नाम निर्दिष्ट सदस्य को ऐसी दरों पर, जो साधारण बीमा परिषद् द्वारा विर्निदिष्ट दरों पर यात्रा भत्ता या मंहगाई भत्ता भुगतान किया जायेगा।

आज्ञा से,
Signed by Arvind Singh Hyanki
Date: 24-07-2023 14:39:49
(अरविन्द सिंह हयांकी)
सचिव।

Scanned by CamScanner

File No. TCOUK-RS01-8(43)/1/2023-TPTUK-TRANSPORT COMMISSIONER (Computer No. 15686)
Generated from eOffice by NARESH SANGAL, AsstDir-NS, ASSISTANT DIRECTOR (ROAD SAFETY), TRANSPORT COMMISSIONER on 21/07/2025 02:45 pm

TP1-POLR/ARFR/3/2022-IX-1-Transport Department-Part(1)

:
5/2023

संख्या–140245/IX-1/195/2004 टी0सी0 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. आयुक्त, गढ़वाल/कुमायूं मण्डल, पौड़ी/नैनीताल।
2. आयुक्त, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।
3. पुलिस महानिदेशक, गृह विभाग, उत्तराखण्ड।
4. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
5. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
6. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
7. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लिथो प्रेस, इण्डस्ट्रीयल एरिया, रूड़की, हरिद्वार को इस आशय से प्रेषित कि कृपया अधिसूचना को असाधारण गजट, विधायी परिशिष्ट भाग–4 में मुद्रित कराकर इसकी 200 प्रतियां परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को यथाशीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
8. समस्त सम्भागीय परिवहन अधिकारी/सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. बीमा परिषद द्वारा आयुक्त परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड।
10. सम्बन्धित अधिकारी।
11. गार्ड फाइल।

(अरविन्द सिंह ह्याँकी)
सचिव।

Scanned by CamScanner

File No. TCOUK-RS01-8(43)/1/2023-TPTUK-TRANSPORT COMMISSIONER (Computer No. 15686)
Generated from eOffice by NARESH SANGAL, AsstDir-NS, ASSISTANT DIRECTOR (ROAD SAFETY), TRANSPORT COMMISSIONER on 21/07/2025 02:45 pm